LABOUR DEPARTMENT

The 22nd November, 1982

No. 1(119)-80-6Lab.—In exercise of powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government Labour Department notification No. G. S. R. 155/C.A. 63/48/S-112/77, dated the 26th August, 1977 the Government of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Factory Rules, 1952, namely:—

RULES

1. These rules may be called the Punjab Factory (Haryana Amendment) Rules, 1982.
2. In the said rules, in rule 86, for the words "in a saw mill notified" the words "in the place declared and deemed to be a factory" shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 87, for the words, "in a saw mill notified", the words "in the place declared and deemed to be a factory" shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 94A, in sub-rule (1), for the words "the saw mills notified", the words "the factories deemed as such", shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (1), for words "the saw mills notified" the words "the factories deemed as such", shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 110 in sub-rule (1), for the words "the saw mills notified", the words, "the factories deemed as such", shall be substituted.
7. In the said rules, in form No. 36, for the words, "saw mills covered", the words, "the Factories deemed as such", shall be substituted.

M. KUTTAPPAN,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 30 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1739-ज(I)-82/41929.--श्री मित्तर सिंह, पुत्र श्री छाजू सिंह, गांव घामडौज, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 16 जुलाई 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मित्तर सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 520-जे.एन.-III-66/3508, दिनांक 4 मार्च, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चमेली देवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 1 दिसम्बर, 1982

क्रमांक 1786-ज(II)-82/42001.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मोती राम, पुत्र श्री शीतल सिंह, गांव जिटान, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1977 से खरीफ़ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।